[20/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 3223]

परिशिष्ट–"अ"
अतारांकित प्रश्न क्रमांक–3223
द्वारा माननीय विधायक– श्रीमती कल्पना वर्मा

पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र 23/2017 दिनांक 18/07/2017 के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को अवैध उत्खन्न एवं अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने बावत निर्देशित किया गया था उक्त पत्र के संबंध में जॉच के क्रम में प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र/नोटिस जारी किये गये है । प्रकरण मूलतः म.प्र. शासन राजस्व एव खनिज विभाग से संबंधित है।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच दल आयुक्त रीवा संभाग रीवा के नेतृत्व में गठित हुआ था, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल को कार्यालीन पत्र क्रमांक राजस्व/04/03/2019/56 दिनांक 02/01/2020 के माध्यम से प्रेषित की गई थी (जो कि विधान सभा सत्र फरवरी–2018 में माननीय विधायक अजय सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न क्रमांक 757 से उद्‌भूत आश्वासन क्रमांक 50 पर आधारित थी) कलेक्टर सतना द्वारा खनिज पट्टे निरस्त किये गये है पत्र क्रमांक 630/खनिज/2019 दिनांक 26/02/2019 सलग्न है । उक्त प्रकरण के संबंध में उच्च स्तरीय जांच दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पुलिस विभाग को प्रेषित नहीं किया गया।

22.2

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अवर सचिव / अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट—''ब''

अतारांकित प्रश्न कमांक—3223

द्वारा माननीय विधायक— श्रीमती कल्पना वर्मा

अपराध क्रमांक 168/2016 थाना कोलगवां एवं अपराध क्रमांक 169/2017 थाना सिटी कोतवाली सतना में दर्ज है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 762 विधान सभा बजट सत्र 2017 सदन में लाया गया था । जिसका उत्तर पत्र क्रमांक—पु0अ0/सतना/ओ0 एम0/विसप्र0 /18ए./2017 दिनांक 17.02.2017 के माध्यम से सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ए0), अ0अ0वि0, पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश,भोपाल को भेजा गया है पत्र की छाया प्रति संलग्न है । इस पत्र की जानकारी में थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 168/2016 धारा 420,468,471,34 भादवि का उल्लेख है । अनुसंधान दौरान साक्ष्य संकलन कर प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी कर धारा 173(8) द.प्र.स. के तहत अनुसंधान प्रक्रिया जारी रखते हुए गिरफ्तार शुदा आरोपियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने संबंधी जांच प्रतिवेदन राजस्व विभाग से अनुसंशा सहित प्राप्त नहीं हुआ है अतः अग्रिम विधिसंगत कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है जैसा कि विधान सभा प्रश्न 762 के बिन्दू ''ग'' में उल्लेख है । जहाँ तक ईश्वर प्रताप सिंह की आराजी की जाँच होने के बाद अपराध दर्ज न होने का प्रश्न है । इस संबंध में स्थिति यह है कि थाना कोतवाली सतना का अपराध क्रमांक 169/2017 खसरा नम्बर—329,342,342(2) पर पंजीबद्ध होकर कर अनुसंधान में लिया जाकर प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है । खसरा नम्बर 342(2) ईश्वर प्रताप सिंह के नाम होना पाई गई है । यह एक फर्जी नाम है । वर्तमान में उपरोक्त आराजियाँ कलेक्टर सतना द्वारा शासकीय घोषित कर दी गई है ।

27.2

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

परिशिष्ट–"स"
अतारांकित प्रश्न कमांक–3223
द्वारा माननीय विधायक– श्रीमती कल्पना वर्मा

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा बिन्दू (क) में रामस्थान मौजा की शासकीय आराजी में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर खुर्द–बुर्द कर निजी स्वत्व में लेने संबंधी है, उक्त प्रकरण के संबंध में उच्च स्तरीय जांच दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पुलिस विभाग को प्रेषित नहीं किया गया । यदि भविष्य उच्च स्तरीय जॉच दल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु कोई निर्देश प्राप्त होते है तो विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी । जबकि कोलगवां में अपराध क्रमांक 168/2016 एवं थाना कोतवाली सतना में अपराध क्रमांक 169/2017 में ग्राम सोनौरा में शासकीय आराजी को दस्तावेजों को खुर्द–बुर्द कर निजी स्वत्व में लेने पर से पंजीबद्ध है । थाना कोलगवां के अपराध क्रमाकं 168/16 में आरोपी रजनीश शर्मा की गिरफ्तारी में माननीय उच्च न्यायालय से रोक लगी है। घटना के अन्य आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। थाना कोतवाली सतना के अपराध क्रमांक 169/17 में सभी आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

27.2

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
बल्लभ भवन, भोपाल,